परिशिष्ट – "अ"

नियम एवं शर्तें

01. वाहन किराया पूर्व में जारी निविदा में प्राप्त L1 दर रु 40000.00 (चालीस हजार रु) मासिक है , मासिक किराया में 2500 कि.मी. तक डीजल /पेट्रोल वाहन मालिक द्वारा देय होगा तथा 2500 कि.मी. मासिक से अधिक चलने पर 12 रु/ कि.मी. अतिरिक्त राशि देय होगा, इससे अधिक राशि देय नहीं होगा |

02. निविदा फार्म प्राप्त करने हेतु राशि 500/– का बैंक ड्राफट **जिला** स्वास्थ्य समिति, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के पक्ष में देय होगा। जो कि किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं होगा।

03. अमानत राशि रू. 15000/–(पंद्रह हजार रु मात्र) **जिला** स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, दंतेवाड़ा के नाम से दंतेवाड़ा में देय, बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के द्वारा तकनीकी प्रस्ताव के साथ, संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसके बिना प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।

04. सफल निविदाकार की अमानत राशि को सुरक्षा निधि के रूप में जमा रखा जावेगा और संविदा की संतोषप्रद ढंग से समाप्ति के बाद वापस की जावेगी। उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अन्य निविदाकारों की अमानत राशि, सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के उपरांत वापस कर दी जावेगी।

05. वाहन मुख्यालय पर रहने एवं मुख्यालय से बाहर जाने पर कोई अतिरिक्त भार देय नहीं होगा।

06. वाहन के समस्त कागजात परिवहन विभाग के नियमानुसार होना अनिवार्य होगा। वाहन का रोड टैक्स/बीमा/सेवा एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्क आदि का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जावेगा। वाहन का रोड टैक्स व बीमा (कम्प्रेहेन्सिव) अद्यतन होना चाहिए। जिसकी छायाप्रति कार्यालय में जमा किया जाना आवश्यक होगी।

07. अनुबंधित वाहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़, के कार्यालय के आधिपत्य में रहेगा।

08. वाहन चालक का व्यय संबंधित वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन चालक अवकाश या अस्वस्थ्य होने पर वाहन मालिक को तत्काल दूसरे अहर्ता प्राप्त वाहन चालक की व्यवस्था करना होगा। यदि विभाग द्वारा वाहन चालक की व्यवस्था की जावेगी तो उसका भुगतान राशि वाहन मालिक को देय बिल से काट ली जावेगी एवं समस्त जवाबदारी वाहन मालिक की होगी। वाहन चालक ड्यूटी के समय वर्दी में रहेगा।

09. वाहन की मरम्मत रख–रखाव एवं समस्त अन्य खर्चें वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन खराब होने पर मरम्मत, रख–रखाव हेतु तथा मालिक द्वारा वाहन वापस लिए जाने की स्थिति में मालिक द्वारा दूसरी वाहन की व्यवस्था करनी होगी। यदि विभाग द्वारा यह व्यवस्था की जाती है तो व्यय पूर्ति का दायित्व वाहन मालिक की होगी।

10. वाहन पर **नीली** बत्ती, सायरन एवं राष्ट्रीय ध्वज की व्यवस्था वाहन मालिक को करना होगा।
11. किराए पर लिए गए वाहन अच्छी स्थिति में नहीं पाये जाने पर तत्काल हटा दिया जावेगा एवं देयक का भुगतान रोक दिया जावेगा।
12. वाहन की लाग बुक/लाग कार्ड प्रतिदिन अनिवार्य रूप से वाहन चालक को नियमानुसार भरना होगा एवं संबंधित अधिकारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर लिया जाना होगा व उक्त लाग बुक/लाग कार्ड मूलतः कार्यालय में देयक के साथ जमा करना होगा जो कि शासकीय अभिलेख होगा। देयको का भुगतान, उपयोगकर्ता अधिकारी के सत्यापन पश्चात् मासिक आधार पर किया जावेगा। देयको का भुगतान, उपयोगकर्ता अधिकारी के सत्यापन उपरांत मासिक आधार पर किया जावेगा।
13. देयक तीन प्रतियों में मय लाग बुक/लाग कार्ड के साथ तत्काल अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। देयक का भुगतान संभावित अवधि में चेक के माध्यम से किया जावेगा। वाहन मालिक अन्य टैक्स/आयकर/सेवा शुल्क आदि भुगतान के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
14. वाहन रखने की अवधि का निर्धारण करने का अधिकार संबंधित विभाग का होगा। विभाग द्वारा वाहन अनुबंध को 15 दिन पूर्व सूचना दिया जाकर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेगा व वाहन मालिक द्वारा भी 15 दिन पूर्व सूचना पर अपना वाहन हटाने का विकल्प होगा।
15. शर्तों का उल्लंघन करने पर वाहन को हटा दिया जायेगा एवं वाहन का किराया भी देय नहीं होगा।
16. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निराकरण संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा ।
17. न्यूनतम निर्धारित दरों पर प्रथम निविदा प्रतिभागी द्वारा समय पर वाहन एवं सुविधा नहीं प्रदाय किये जाने की स्थिति में द्वितीय निविदा प्रतिभागी से समस्त सेवा लिये जाने का अधिकार कार्यालय का होगा।
18. कार्यालय द्वारा केवल टैक्सी परमिट (Commercial Taxi) वाहनों का उपयोग किया जावेगा।
19. चाही गई सेवा एवं प्रदायित सेवा के अनुरूप संतुष्टि की दशा में सेवा अवधी अनुबंध अगामी शर्तो हेतु आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।
20. समय समय पर पेट्रोल, डीजल आदि ईंधन की दरों में परिवर्तन की दशा में अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
21. चयन प्रक्रिया **टेक्निकल बिड के** आधार पर की जावेगी।
22. स्वीकृत दर पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म/संस्थान की होगी, अनुपलब्धता/विलंब तथा असंतुष्टि की स्थिति में फर्म/संस्थान के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुये अपात्र (Black Listed) घोषित कर अनुबंध तत्काल समाप्त किया जावेगा। तथा किसी अन्य शासकीय संस्थान में उक्त सेवा हेतु वर्जित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
23. अनुबंध नवीनीकरण की दशा में EMD राशि को आगामी वर्षो हेतु मान्य किया जावेगा।

24. वाहन चालक द्वारा तंबाकू, शराब, सिगरेट इत्यादि के सेवन एवं अभद्र व्यवहार की दशा में बिना सूचना के अनुबंध समाप्त किया जावेगा।
25. निर्धारित दर आगामी आदेश तक प्रभावशील मानी जावेगी।
26. परिशिष्ट – (**ब** एवं **स**) बंद लिफाफे में समस्त दस्तावेजो के साथ जमा किया जावे ृ
27. निविदा खुलने पर सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोला जावेगा तत्पश्चात् संतुष्टि की दशा में वित्तीय निविदा खोला जावेगा।
28. उक्त निविदा की वैधता 31 मार्च 2018 या आगामी आदेश तक मान्य होगी।
29. निविदा फार्म प्राप्त करने एवं डाउनलोड किये जाने की तिथि विज्ञापन प्रकाशन के 07 दिवस तक कार्यालयीन समय तक है | इसके पश्चात् प्राप्त निविदा प्रपत्र मान्य नहीं किया जावेगा |

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला - दंतेवाड़ा (छ.ग.)

परिशिष्ट - ब

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत
वाहन किराये पर लिये जाने हेतु तकनीकी निविदा

(एक अलग सीलबंद लिफाफे में संलग्न **करें**)

फर्म द्वारा विवरण निम्नानुसार दिया जावे –

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>विवरण</th><th colspan="4"></th></tr>
<tr><td>1</td><td>फर्म/कंपनी का नाम</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>2</td><td>फर्म/कंपनी का पता</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>3</td><td>मोबाइल नंबर</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>4</td><td>एस.टी.डी. कोड के साथ फोन नंबर</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>5</td><td>ईमेल पता</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">6</td><td rowspan="2">पैन/टैन नंबर (प्रमाण पत्र संलग्न करें)</td><td colspan="2">☐ हॉ</td><td colspan="2">☐ नहीं</td></tr>
<tr><td colspan="2">पैन नंबर :</td><td colspan="2">टैन नंबर:</td></tr>
<tr><td>7</td><td>पंजीकरण क्रमांक/वर्ष (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)</td><td colspan="2">☐ हॉ</td><td colspan="2">☐ नहीं</td></tr>
<tr><td>8</td><td>पिछले 3 वित्तीय वर्षो का वित्तीय विवरण (प्रमाण के साथ)</td><td>वर्ष:2013-14</td><td>वर्ष:2014-15</td><td>वर्ष:2015-16</td><td>वर्ष:2016-17</td></tr>
<tr><td>9</td><td>जी.एस.टी. पंजीकरण संख्या (प्रमाण पत्र संलग्न करें)</td><td colspan="2">☐ हॉ</td><td colspan="2">☐ नहीं</td></tr>
<tr><td>10</td><td>संस्था में कार्यरत वाहन चालक की संख्या</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>11</td><td>अमानत राशि (संलग्न)</td><td colspan="2">☐ हॉ</td><td colspan="2">Rs.15000.00/-(पंद्रह हजार रु)
☐ नहीं</td></tr>
<tr><td rowspan="3">12</td><td rowspan="3">संस्था का नाम जहां वाहन प्रदाय की गई हो। (विभिन्न वाहनों के विस्तार के साथ)
(कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करें।)</td><td>क्रमांक</td><td>शास. संस्था/संगठन का नाम</td><td>कब से</td><td>वाहन का विवरण</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>3.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">13</td><td rowspan="6">वाहन का विवरण (3 वर्ष से पुराने वाहन स्वीकार नहीं किया जावेगा)</td><td>क्र</td><td colspan="2">वाहन के प्रकार</td><td>वाहन निर्माण का वर्ष</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">14</td><td rowspan="3">व्यक्ति का नाम, पदनाम, पता (निविदा संबंधी)</td><td>क्र</td><td>नाम</td><td>पदनाम</td><td>पूरा पता／मोबाइल नंबर</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td>घोषणा पत्र राशि 100／— के स्टॉम्प पेपर में जमा।</td><td colspan="2">हॉ</td><td colspan="2">नहीं</td></tr>
</table>

मालिक／फर्म का

नाम ....

पता ....

मोबा. ....

परिशिष्ट – स
घोषणा पत्र

1. यह कि हमारी संस्थान को इस निविदा के तहत् प्रदाय की जाने वाली समस्त सेवाओं के लिये किसी भी संस्थान/व्यक्तिविशेष के द्वारा मुकदमेबाजी एवं आरोप नहीं लगाया गया है।
2. यह कि हमारी संस्थान को किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपात्र (Black listed) सूचीबद्ध नहीं है।
3. निविदा में दर्शित समस्त नियम एवं शर्तो को हमारी संस्थान द्वारा मान्य किया जावेगा।

वाहन मालिक/फर्म का
नाम ....

पता ....

मोबा. ....

(नोट – उपरोक्त घोषणा पत्र मे दर्शित नियम एवं शर्तो को निविदाकर्ता द्वारा राशि 100/– के स्टॉम्प पेपर पर सहमति देना अनिवार्य होगा।)